"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 594] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 अक्टूबर 2026 —— अश्विन 17, शक 1948

चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 6 अक्टूबर 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-9697/2026/55-एक.—— छत्तीसगढ़ शासन एतद् द्वारा राज्य के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम के संचालन हेतु अधोसंरचना, महाविद्यालयों तथा संलग्न शिक्षण चिकित्सालयों के न्यूनतम मानक एवं शिक्षा के न्यूनतम मानक के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारम्भ :—**

(1) इन विनियमों को छत्तीसगढ़ प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों एवं संलग्न चिकित्सालय हेतु न्यूनतम आवश्यक मानक एवं शिक्षा के न्यूनतम मानक विनियम, 2025 कहा जायेगा।

(2) राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालयों को स्नातक पाठ्यक्रम के संचालन हेतु आवश्यक मानक इन विनियमों के आधार पर होंगे।

(3) ये नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषा:—** इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो :—

(1) 'राज्य शासन' से अभिप्रेत है, 'छत्तीसगढ़ शासन'।

(2) 'संचालक' से अभिप्रेत है, 'संचालक, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ़'।

(3) 'महाविद्यालय' से अभिप्रेत है, 'छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय एवं निजी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालय'।

(4) 'चिकित्सालय' से अभिप्रेत है, 'महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण/प्रशिक्षण चिकित्सालय'।

(5) 'विश्वविद्यालय' से अभिप्रेत है, 'पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़'।

(6) 'पंजीयन परिषद्' से अभिप्रेत है, 'छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद् रायपुर'।

(7) 'पाठ्यक्रम' से अभिप्रेत है, 'प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम'(BNYS or Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences)। यह पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम $5\frac{1}{2}$ वर्ष का है जिसमें $4\frac{1}{2}$ वर्ष का मुख्य पाठ्यक्रम और 1 वर्ष का इंटर्नशिप शामिल है।

3. **नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु आवेदन प्रक्रिया :—**

नवीन प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा :—

(1) नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने हेतु किसी भी महाविद्यालय/संस्था/सोसायटी द्वारा निर्धारित प्रारूप में चालू वर्ष के 30 अप्रैल तक राज्य शासन को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा :—

(क) आवेदन प्रस्तुत करने वाली संस्था/सोसायटी (कम से कम पांच वर्ष पुराने गठित) का 'फर्म एवं सोसायटी' में जीवित पंजीयन प्रमाण—पत्र।

(ख) राज्य शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(ग) विश्वविद्यालय से संबद्धता हेतु सहमति प्रमाण—पत्र।

(घ) 50 सीटों की प्रवेश क्षमता एवं 51—100 सीटों की प्रवेश क्षमता हेतु आवेदन शुल्क क्रमशः 2,00,000/— रूपये एवं 3,00,000/— रूपये का डिमांड ड्राफ्ट 'संचालक आयुष' के नाम से जमा करना होगा।

(ड.) निजी महाविद्यालय हेतु राज्य शासन को 25 लाख रूपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करना होगा।

(2) आवेदन करने के पूर्व 1 वर्ष का पूर्णतः विकसित एवं संचालित चिकित्सालय न्यूनतम मापदण्डों के अनुसार होना अनिवार्य है।

4. भूमि की आवश्यकता :–

(1) इन विनियमों के अधीन 50 सीटों की प्रवेश क्षमता वाले महाविद्यालयों एवं संलग्न चिकित्सालयों हेतु न्यूनतम तीन एकड़ का एक भूखंड आवश्यक होगा।

(2) 51 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता हेतु भूमि पांच एकड़ से कम और दो प्लॉट से अधिक नहीं हो एवं उनकी दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं हो। प्लॉट यदि सड़क या नहर या नाले के कारण अलग हो लेकिन एक पुल से जुड़े हों तो भूमि का एक ही टुकड़ा समझा जायेगा।

(3) भूमि महाविद्यालय/संस्था/सोसायटी के स्वामित्व में होनी चाहिए या महाविद्यालय के नाम पर न्यूनतम 30 वर्ष या राज्य शासन के नियमों अथवा विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमति अवधि के पट्टे पर होनी चाहिए। अनुमति समाप्ति से छः माह पूर्व पट्टे का नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।

5. न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता :–

(1) 50 छात्रों तक की प्रवेश क्षमता हेतु संलग्न चिकित्सालय भवन का कुल निर्मित क्षेत्र (अनुसूची–1 के अनुसार) 1500 वर्ग मीटर एवं महाविद्यालय का निर्मित क्षेत्र (अनुसूची–2 के अनुसार) 1500 वर्ग मीटर होना चाहिए।

(2) 51 से 100 छात्रों तक प्रवेश क्षमता हेतु संलग्न चिकित्सालय भवन का कुल निर्मित क्षेत्र (अनुसूची–1 के अनुसार) 2800 वर्ग मीटर एवं महाविद्यालय का निर्मित क्षेत्र (अनुसूची– 2 के अनुसार) 2800 वर्ग मीटर होना चाहिए।

(3) अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट विवरणानुसार महाविद्यालय एवं चिकित्सालय का निर्माण अलग–अलग भवनों में किया जाना होगा।

(4) कुल निर्माण क्षेत्र, अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) या फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफ.एस.आई) सक्षम प्राधिकारी या स्थानीय कानूनों या नियमों द्वारा दी गई अनुमति पर आधारित होगा।

(5) अनुमति के लिए आवेदन करते समय स्थानीय नगर निगम/सक्षम कार्यालय का अधिकारिक प्रमाण पत्र जो यह प्रमाणित/अनुमोदित करता हो कि भवनों का निर्माण एवं उनका निर्माण क्षेत्र अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के अनुसार है एवं यह भवन भूमि के टुकड़े में समाहित हो सकते हैं, संलग्न होना चाहिए।

(6) महाविद्यालय को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु, अन्य आवश्यक मूलभूत संरचनाएं जैसे महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के कर्मचारी हेतु पर्याप्त आवास एवं छात्र–छात्राएं हेतु अलग–अलग छात्रावास, बाह्य एवं अन्तरंग खेलों की सुविधा, शौचालय, पेयजल, बिजली की सेवाएं, कार्यशाला एवं परिसर के अन्दर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था होना चाहिए।

(7) वनौषधि उद्यान का न्यूनतम क्षेत्र अनुसूची–3 में विहित अनुसार होना चाहिए। वनौषधि उद्यान में 50 छात्रों की प्रवेश क्षमता हेतु न्यूनतम 50 किस्मों के 500 पौधे एवं 51–100 छात्रों की प्रवेश क्षमता हेतु 70 किस्मों के 1000 पौधे होने अनिवार्य हैं।

6. **प्रवेश क्षमता :–**

महाविद्यालय की वार्षिक प्रवेश क्षमता 50 एवं 100 के स्लैब में होगी। 50 से कम या 51 से 100 सीटों की प्रवेश क्षमता रखने वाले महाविद्यालय को अनुसूची–1 से अनुसूची–22 तक में वर्णित क्रमशः 50 एवं 100 सीटों की आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

7. **शिक्षण चिकित्सालय की आवश्यकताएं :–**

(1) संस्था शिक्षण चिकित्सालय स्थापित और संचालित करने हेतु राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण की सभी सांविधिक (statutory) आवश्यकताओं को पूरा करेगा। राज्य शासन ऐसे आवेदक महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व ऐसे अनुमति/निकासी की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।

(2) **बाह्य रोगी विभाग/अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों की उपस्थिति के अभिलेख का रखरखाव :–**

महाविद्यालय चिकित्सालय बाह्य रोगी विभाग एवं अन्तरंग रोगी विभाग के रोगियों का अभिलेख वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय पंजीकरण प्रणाली से रखरखाव करेगा। चिकित्सालय विभागानुसार बहिरंग विभाग और अन्तरंग विभाग का अभिलेख, रोगी संबंधित दस्तावेज, प्रयोगशाला और विकिरण जांच प्रतिवेदन, अंतरंग विभाग के रोगियों के लिए आहार पंजिका, चिकित्सालय के चिकित्सकों एवं कर्मचरियों का ड्यूटी पंजिका, जन्म एवं मृत्यु पंजिका इत्यादि संधारित करेगा।

(3) **बाह्य रोगी विभाग :–**

चिकित्सालय में बाह्य रोगी विभागों की संख्या एवं निर्मित क्षेत्र अनुसूची–1 में निर्दिष्टानुसार होगें।

(4) **बाह्य रोगी संख्या** :–

चिकित्सालय में प्रतिदिन बाह्य रोगी संख्या छात्र–प्रवेश क्षमता अनुरूप तालिका–1 के अनुसार होगी।

(5) **स्थान आवश्यकता** :–

पूर्ण रूप से संचालित महाविद्यालय चिकित्सालय में अनुसूची–1 के अनुसार विभिन्न विभाग/चिकित्सा हेतु निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए।

(6) **अन्तरंग रोगी विभाग** :– अस्पताल के अन्तरंग रोगी विभाग में पुरूष एवं स्त्री वार्ड अलग होगें और शय्या वितरण निम्न प्रकार होगाः–

छात्रों के अनुपात अनुसार शय्याओं की संख्या, अन्तः रोगी विभाग में शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की संख्या क्रमशः 1:1, 50 प्रतिशत एवं 1:1 निम्नलिखित तालिका–1 में दिये गये विवरण के अनुसार होगा। सामान्य वार्ड में दो शय्याओं की दूरी डेढ़ मीटर से कम नहीं होगी।

तालिका–1

वार्षिक प्रवेश क्षमता	अन्तरंग रोगी विभाग में न्यूनतम शय्या छात्र–शय्या अनुपात 1:1 पर	अन्तरंग रोगी विभाग में एक वार्षिक कलैण्डर (365 दिन) में शय्या अधिभोग (Bed Occupancy)	एक वार्षिक कलैण्डर (300 दिन) में बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन रोगियों की न्यूनतम औसत संख्या (1:1 छात्र–रोगी अनुपात)
50 छात्रों तक	50 शय्या	50%	50
51 से 100 छात्र	100 शय्या	50%	100

शय्या अधिभोग की संख्या की गणना करने हेतु चिकित्सालय प्रत्येक रोगी के भर्ती (admission) होने तथा उनके निवर्तन (discharge) की तिथि का लेखा जोखा रखेगा। मध्यरात्री में रोगी द्वारा शय्या अधिभोग की गणना एक शय्या दिवस अधिभोग के रूप में की जाएगी। शय्या अधिभोग की गणना हेतु निम्नलिखित सूत्र लागू होगा–

$$\frac{\text{शय्या दिवस अधिभोग} \times 100 \text{ की संख्या}}{\text{शय्याओं की संख्या} \times \text{दिवसों की संख्या}}$$

(7) **नैदानिक प्रयोगशाला** :–

पर्याप्त भंडारण क्षेत्र और कार्य स्थान के साथ पूरी तरह सुसज्जित नैदानिक प्रयोगशाला होनी चाहिए।

(8) **अस्पताल के कर्मचारी** :– अस्पताल के लिए न्यूनतम स्टॉफ की आवश्यकता अनुसूची–4 के अनुसार होगी।

(9) **आवश्यक यन्त्र/शस्त्र/उपकरण** :– चिकित्सालय में आवश्यक यन्त्र/शस्त्र/उपकरण अनुसूची–5 के अनुसार होंगे।

(10) **पर्यावरण संरक्षण प्रमाण–पत्र** :– चिकित्सालय हेतु पर्यावरण संरक्षण बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(11) **बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन** :– बायोमेडिकल अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु उचित व्यवस्था करनी होगी।

(12) **अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था** :– चिकित्सालय में उचित स्थानों पर अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था होनी चाहिए।

(13) दिव्यांग रोगी हेतु उनके आवागमन की उचित व्यवस्था चिकित्सालय में होनी चाहिए।

8. महाविद्यालय की आवश्यकताएं :–

(1) **अधोसंरचना** :– महाविद्यालय का भूमि क्षेत्रफल विनियम–4 एवं निर्मित क्षेत्रफल अनुसूची–2 के अनुसार होना आवश्यक है।

(2) **शिक्षण स्टॉफ** :— प्रवेश क्षमता के अनुसार न्यूनतम नियमित पूर्णकालिक शिक्षक अनुसूची—8 के निर्दिष्टानुसार होंगे। वे शिक्षक जो शिक्षण के पद हेतु न्यूनतम पात्रता के मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) **गैर—शिक्षण एवं अन्य स्टॉफ की आवश्यकता** :— महाविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा विभागों में गैर—शिक्षण तथा अन्य स्टॉफ अनुसूची—10 के निर्दिष्टानुसार होगा।

(4) **आवश्यक यन्त्र/शस्त्र/उपकरण** :— महाविद्यालय में आवश्यक यन्त्र/शस्त्र/उपकरण अनुसूची—11 से अनुसूची— 19 के अनुसार होंगे।

9. **विविध आवश्यकताएं** —

(1) **महाविद्यालय परिषद्** :—

(क) प्रत्येक महाविद्यालय में एक महाविद्यालय परिषद् होगी जिसमें समस्त विभागों के अध्यक्ष सदस्य के रूप में तथा प्राचार्य अथवा अधिष्ठाता अध्यक्ष के रूप में समाविष्ट होंगे।

(ख) पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण तैयार करने, अनुशासन पर बल देने तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए वर्ष में कम से कम चार बार महाविद्यालय परिषद् की बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

(ग) महाविद्यालय परिषद् द्वारा संस्था में नियमित रूप से आवधिक अनुसंधान पुनरीक्षण के साथ—साथ अन्तरविभागीय बैठकें, शैक्षणिक भ्रमण, सांख्यिकीय बैठकें तथा नैदानिक बैठके आयोजित किया जाना आवश्यक होगा।

(2) **महाविद्यालय की वेबसाईट**: प्रत्येक महाविद्यालय की उसकी अपनी वेबसाइट होगी जिस पर प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में अद्यतन (Updated) किया गया निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराया जायेगा :—

(क) प्रत्येक शिक्षक का विवरण जैसे विभाग, शैक्षणिक अर्हता, फोटोग्राफ, पंजीयन संख्या, जन्मतिथि, पूर्व संस्था के नाम सहित कुल शिक्षण अनुभव, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि इत्यादि महाविद्यालय की वेबसाइट पर होगी।

(ख) निदेशक अथवा अधिष्ठाता अथवा प्राचार्य एवं चिकित्सालय अधीक्षक का विवरण जिसमें उसका नाम, आयु, पंजीयन संख्या, अर्हता, कार्यग्रहण की तिथि, दूरभाष/मोबाइल संख्या सहित उनका पूरा पता तथा एस.टी.डी. कोड, फैक्स तथा ई—मेल इत्यादि हों।

(ग) महाविद्यालय के गैर—शिक्षण स्टॉफ तथा चिकित्सालय स्टॉफ का विभाग सहित विवरण।

(घ) स्नातकीय पाठ्यक्रमों की स्वीकृति एवं प्रवेश क्षमता का विवरण।

(ङ) चालू एवं गत वर्ष के लिए प्रवेश प्राप्त छात्रों की योग्यता एवं श्रेणीवार सूची।

(च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई शोध प्रकाशन।

(छ) संस्था द्वारा आयोजित किसी सतत् चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई) कार्यक्रम, सम्मेलन तथा शैक्षणिक गतिविधियों का विवरण।

(ज) छात्रों एवं संकाय द्वारा प्राप्त किये गये किसी पुरस्कार एवं उपलब्धि का विवरण।

(झ) सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा कुल सचिव का विवरण।

(ञ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं का परिणाम।

(ट) चिकित्सालय में चिकित्सा एवं नैदानिक सुविधाओं का विवरण।

(ठ) बाह्य रोगी विभाग तथा अंतः रोगी विभाग में रोगियों की उपस्थिति का माह के अनुसार विश्लेषण महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(3) **बॉयोमेट्रिक उपस्थिति** :— शिक्षण स्टॉफ, गैर शिक्षण स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु बायोमैट्रिक्स उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

10. **नए महाविद्यालय की चरणवार विशिष्ट आवश्यकताएं** —

प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अनुमति चाहने वाले महाविद्यालय को आधारभूत संरचना तथा मानव संसाधन को निम्नवत् स्थापित करना होगाः

(1) **महाविद्यालय छात्रों के प्रथम बैच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा** —

(क) आवेदन प्रस्तुत करते समय, महाविद्यालय के पास वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप शय्याओं की उचित संख्या तथा शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभाग की उपलब्धता तथा आवेदन की तिथि से एक वर्ष से पूर्व कार्यात्मक एवं विकसित चिकित्सालय होना अनिवार्य है।

(ख) प्रथम व्यावसायिक वर्ष छात्रों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति होना आवश्यक है।

(ग) चिकित्सालय के संचालन हेतु प्रत्येक विभाग में कम से कम एक विशेषज्ञ अथवा नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक का होना आवश्यक होगा। महाविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य शासन को आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने से एक वर्ष पूर्व अथवा विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति की तिथि से, जो भी कम हो, विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा नैदानिक चिकित्सक का अनुभव शिक्षक के रूप में माना जाएगा।

(घ) 50 प्रवेशित छात्रों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 51 से 100 प्रवेशित छात्रों हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता के साथ 50 प्रवेशित छात्र क्षमता हेतु 2000 पुस्तकों का एक पुस्तकालय तथा 51 से 100 प्रवेशित छात्र क्षमता हेतु 3000 पुस्तकों का एक पुस्तकालय होना चाहिए।

(ङ) शिक्षण के प्रथम व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचर युक्त एवं सुसज्जित दो व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग तथा प्रयोगशालाएं तथा संग्रहालय अनिवार्य होगें।

(च) 50 प्रवेशित छात्रों तक के लिए दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि पर तथा 51 से 100 प्रवेशित छात्रों हेतु 4 हजार वर्ग मीटर भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान जिसमें 50 प्रवेशित क्षमता हेतु 50 प्रजातियों के 500 औषधीय पौधे तथा 51 से 100 प्रवेशित सीटों हेतु 70 प्रजातियों के 1000 औषधीय पौधे लगे हों।

(छ) चिकित्सालय का समस्त स्टॉफ अनुसूची–4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

(ज) महाविद्यालय के शिक्षण स्टॉफ, गैर–शिक्षण स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

(2) **महाविद्यालय छात्रों के द्वितीय बैच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा :–**

(क) वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप अंतरंग रोगी विभाग में शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाहय रोगी विभागों सहित कार्यात्मक एवं विकसित चिकित्सालय होना चाहिए।

(ख) प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक वर्ष छात्रों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति होना आवश्यक है।

(ग) महाविद्यालय चिकित्सालय के संचालन हेतु प्रत्येक विभाग में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक होना आवश्यक है।

(घ) 50 प्रवेशित छात्रों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 51 से 100 प्रवेशित छात्र हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता के साथ 50 प्रवेशित छात्र क्षमता हेतु 3000 पुस्तकों का एक पुस्तकालय तथा 51 से 100 प्रवेशित छात्र क्षमता हेतु 4500 पुस्तकों का एक पुस्तकालय होना चाहिए।

(ङ) यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम एवं द्वितीय व्यासायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित तीन व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग, प्रयोगशालाएं एवं संग्रहालय अनिवार्य होगें।

(च) 50 प्रवेशित छात्रों तक के लिए दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि पर तथा 51 से 100 प्रवेशित छात्रों हेतु 4 हजार वर्ग मीटर भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान जिसमें 50 प्रवेशित क्षमता हेतु 50 प्रजातियों के 500 औषधीय पौधे तथा 51 से 100 प्रवेशित सीटों हेतु 70 प्रजातियों के 1000 औषधीय पौधे लगे हों।

(छ) चिकित्सालय का समस्त स्टॉफ अनुसूची–4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

(ज) शिक्षण स्टॉफ, गैर शिक्षण स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

(3) महाविद्यालय छात्रों के तृतीय बैच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा –

(क) यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप अंतः रोगी विभाग में शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभागों सहित कार्यात्मक एवं विकसित चिकित्सालय होना आवश्यक होगा।

(ख) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक वर्ष छात्रों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति होना आवश्यक है।

(ग) महाविद्यालय चिकित्सालय के संचालन हेतु प्रत्येक बहिरंग विभाग में कम से कम एक विशेषज्ञ चिकित्सक अथवा एक नैदानिक (क्लिनिकल) शिक्षक होना आवश्यक होगा।

(घ) 50 प्रवेशित छात्रों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 51 से 100 प्रवेशित छात्र हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता के साथ 50 प्रवेशित छात्र क्षमता हेतु 4000 पुस्तकों का एक पुस्तकालय तथा 51 से 100 प्रवेशित छात्र क्षमता हेतु 6000 पुस्तकों का एक पुस्तकालय होना चाहिए।

(ङ) यथा विनिर्दिष्ट शिक्षण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक वर्ष हेतु उचित रूप से फर्नीचरयुक्त एवं सुसज्जित चार व्याख्यान हॉल तथा शिक्षण विभाग, प्रयोगशालाएं एवं संग्रहालय अनिवार्य होंगे।

(च) 50 प्रवेशित छात्रों तक के लिए दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि पर तथा 51 से 100 प्रवेशित छात्रों हेतु 4 हजार वर्ग मीटर भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान जिसमें 50 प्रवेशित क्षमता हेतु 50 प्रजातियों के 500 औषधीय पौधे तथा 51 से 100 प्रवेशित सीटों हेतु 70 प्रजातियों के 1000 औषधीय पौधे लगे हों।

(छ) चिकित्सालय का समस्त स्टॉफ अनुसूची–4 में यथा विनिर्दिष्ट होगा।

(ज) शिक्षण स्टॉफ, गैर शिक्षण स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

(4) महाविद्यालय छात्रों के चतुर्थ बैच के प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूर्ण करना होगा –

(क) यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के अनुरूप अंतः रोगी विभाग में शय्याओं की उचित संख्या, शय्या अधिभोग एवं बाह्य रोगी विभागों सहित कार्यात्मक चिकित्सालय होना अनिवार्य है।

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यावसायिक वर्ष छात्रों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु विनिर्दिष्ट अपेक्षित अर्हता सहित शिक्षण तथा गैर–शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति होना आवश्यक है।

(ग) यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार महाविद्यालय, अस्पताल तथा अन्य इकाईयों की समस्त आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन की आवश्कताओं का पूर्ति करना होगा।

(घ) 50 प्रवेशित छात्रों तक के लिए 50 व्यक्तियों के बैठने तथा 51 से 100 प्रवेशित छात्र हेतु 80 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता के साथ 50 प्रवेशित छात्र क्षमता हेतु 6000 पुस्तकों का एक पुस्तकालय तथा 51 से 100 प्रवेशित छात्र क्षमता हेतु 8000 पुस्तकों का एक पुस्तकालय होना चाहिए।

(ङ) दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि पर तथा 4 हजार वर्ग मीटर भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान क्रमशः 50 प्रवेशित छात्रों तक के लिए दो हजार पांच सौ वर्गमीटर भूमि पर तथा 51 से 100 प्रवेशित छात्रों हेतु 4 हजार वर्ग मीटर भूमि पर फैला एक वनौषधियों से युक्त उद्यान जिसमें 50 प्रवेशित क्षमता हेतु 50 प्रजातियों के 500 औषधीय पौधे तथा 51 से 100 प्रवेशित सीटों हेतु 70 प्रजातियों के 1000 औषधीय पौधे लगे हों।

(च) चिकित्सालय में औषधियों, पैरा मेडिकल स्टॉफ, चिकित्सक तथा आपातकाल प्रबन्धन के साथ चौबीस घंटे की चिकित्सा सेवाओं की निश्चित उपलब्धता।

(छ) शिक्षण स्टॉफ, गैर शिक्षण महाविद्यालय के स्टॉफ तथा चिकित्सालय के स्टॉफ हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली रखना अनिवार्य है।

11. **उपकरण, यन्त्र–समूह इत्यादि की सूची**– छात्रों के लिए शिक्षण तथा प्रशिक्षण सामग्री के उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु, महाविद्यालय जैसा कि इन विनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, महाविद्यालय के शिक्षण विभाग, चिकित्सालय, प्रयोगशालाएं तथा शव विच्छेदन कक्ष, पुस्तकालय, औषधशाला तथा अन्य इकाईयों में अपेक्षित पर्याप्त संख्या में उपकरण यंत्र–समूह इत्यादि का न्यूनतम 90 प्रतिशत उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।

12. **महाविद्यालयों में अनुमति प्रक्रिया के पूर्ण होने की तिथि तथा प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि :–**

(1) महाविद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान करने अथवा प्रदान ना करने की प्रक्रिया प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की 31 जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी।

(2) महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु कट ऑफ तिथि प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की 30 अक्टूबर होगी, संचालक द्वारा कट ऑफ तिथि को परिवर्तित किया जा सकेगा।

(3) किसी नये महाविद्यालय की स्थापना करने तथा छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जायेगी तथा अनुमति की अवधि वार्षिक आधार पर यथा विनिर्दिष्ट वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि की जांच की शर्त पर बढ़ायी जायेगी।

(4) यह महाविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमति की अवधि बढ़ाये जाने के उद्देश्य हेतु पूर्व अनुमति की अवधि समाप्त होने से छः माह पूर्व राज्य शासन को आवेदन करेगा।

(5) संचालनालय द्वारा बी.एन.वाय.एस. महाविद्यालय में प्रवेश की मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष निरीक्षण कराया जाएगा। इस विनियम की सभी शर्तों को पूर्ण करने एवं संचालनालय द्वारा मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही प्रतिवर्ष प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।

(6) पूर्व से स्थापित बी.एन.वाय.एस. महाविद्यालयों को इस विनियम की सभी शर्तों कों 18 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।

13. **पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मापदंड :–**

(1) **निवास सम्बन्धी अर्हताएॅ :–** केवल वही अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह होगा, जो,

(क) भारत का नागरिक हो ।

(ख) छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी अथवा गैर स्थानीय निवासी हो।

(2) **बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हताएं :–** बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन अथवा अन्य किसी राज्य शासन से मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी विषयों सहित तथा भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान एवं जीवविज्ञान (प्राणी विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान) इन तीनों विषयों में सम्मिलित (Aggregate) रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अभ्यर्थी न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ, अनारक्षित श्रेणी एवं ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के दिव्यांग संवर्ग के अभ्यर्थी न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के तथा इन्हीं श्रेणियों के दिव्यांग अभ्यर्थी न्यूनतम 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो।

(3) आयु सीमा :– केवल वे ही अभ्यर्थी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने प्रवेशित वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।

स्पष्टीकरण :– आयु प्रमाणित करने के लिए हाई स्कूल/ हायर सेकण्डरी (10+2) सर्टिफिकेट परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र अथवा अंकसूची में अंकित जन्मतिथि को ही सही माना जायेगा।

14. **बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम की अवधिः–**

बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम की अवधि निम्नलिखित तालिका के अनुसार 5 वर्ष और 6 महीने की होगी, अर्थात्–

तालिका–2

क्र.	बी.एन.वाय.एस का पाठ्यक्रम	अवधि
1	प्रथम व्यावसायिक बी.एन.वाय.एस	1 वर्ष
2	द्वितीय व्यावसायिक बी.एन.वाय.एस	1 वर्ष
3	तृतीय व्यावसायिक बी.एन.वाय.एस	1 वर्ष
4	चतुर्थ (अंतिम) व्यावसायिक बी.एन.वाय.एस	1 वर्ष 6 माह
5	अनिवार्य परिभ्रामि विशिखानुप्रवेश	1 वर्ष

15. **प्रदान की जाने वाली उपाधि** :– अभ्यर्थी को सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने और निर्धारित अवधि में अनिवार्य परिभ्रामि विशिखानुप्रवेश पूर्ण करने के पश्चात बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस – बी.एन.वाय.एस. की स्नातक उपाधि से सम्मानित किया जायेगा।

16. **शिक्षा का माध्यम** :– पाठ्यक्रम के लिये शिक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा।

17. **पाठ्यक्रम के विषय** :– बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम के विभिन्न व्यावसायिक सत्र के विषय तालिका–3 के अनुसार होंगे।

18. **नैदानिक प्रशिक्षण** :– प्रवेशित छात्रों का नैदानिक प्रशिक्षण प्रथम व्यावसायिक से प्रारंभ होगा और संबंधित संकाय और विभाग द्वारा संलग्न चिकित्सालय में विषय की आवश्यकता के अनुसार नैदानिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

19. **परीक्षक हेतु अर्हता** :– पाठ्यक्रम के विभिन्न व्यावसायिक सत्र की परीक्षा एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक को न्यूनतम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना अनिवार्य है।

20. **सेवानिवृत्ति की आयु** :– शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु राज्य शासन के अनुसार अधिकतम 65 वर्ष होगी। शिक्षकों की पात्रता के मानक पूर्ण करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को पूर्ण कालिक शिक्षक के रूप में 65 वर्ष की आयु तक पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

21. **शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति** :– शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति अनुसूची–9 में निर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता के आधार पर होगी। उपरोक्त अर्हता के साथ सभी शिक्षकों को राज्य पंजियन परिषद् में अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

22. **परीक्षा की प्रणाली** :–

1. **प्रथम व्यावसायिक परीक्षा** :–

(क) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा सामान्यतः प्रथम व्यावसायिक सत्र के अंत में होगी।

(ख) वे छात्र जो प्रथम व्यावसायिक के एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उन्हें द्वितीय व्यावसायिक सत्र में अपने बैच के साथ उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को द्वितीय व्यवसायिक सत्र में कार्यकाल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रथम व्यावसायिक की पूरक परीक्षा प्रत्येक छः महीने में आयोजित की जाएगी।

(घ) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी यथा :–

i. एनाटॉमी (Anatomy)
ii. फिजिओलॉजी (Physiology)
iii. बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry)
iv. फिलासॉफी ऑफ नेचर क्योर (Philosophy of Nature Cure)
v. योग प्रेक्टिसेस् (Yoga Practices)

2. **द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा** :–

(क) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा सामान्यतः द्वितीय व्यावसायिक सत्र के अंत में होगी।

(ख) वे छात्र जो द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उन्हें तृतीय व्यावसायिक सत्र में अपने बैच के साथ उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को तीसरे व्यावसायिक सत्र में कार्यकाल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और द्वितीय व्यावसायिक की पूरक परीक्षाएं हर छः महीने में आयोजित की जाएगी।

(घ) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी यथा :–

i. पैथोलॉजी (Pathology)
ii. माइक्रोबायोलॉजी (Microbiology)
iii. कम्युनिटी मेडीसिन (हेल्थ) (Community Medicine)
iv. योग फिलासॉफी (Yoga Philosophy)
v. मॅग्नेटोथेरेपी एण्ड क्रोमोथेरेपी (Magnetotherapy and Chromotherapy)
vi. फॉरेन्सिक मेडीसिन एण्ड टॉक्सिकोलॉजी (Forensic Medicine and Toxicology)

3. **तृतीय व्यावसायिक परीक्षा** :–

(क) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा सामान्यतः तृतीय व्यावसायिक सत्र के अंत में होगी।

(ख) वे छात्र जो तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, उन्हें चतुर्थ व्यावसायिक सत्र में अपने बैच के साथ उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

(ग) दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को चतुर्थ (अंतिम) व्यवसायिक सत्र में कार्यकाल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और तृतीय व्यावसायिक की पूरक परीक्षाएं हर छः महीने में आयोजित की जाएगी।

(घ) तृतीय व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी यथा :–

i. मैनिपुलेटिव थेरेपी (Manipulative Therapy)
ii. एक्युपंक्चर (Accupuncture)
iii. योग एप्लिकेशन (Yoga Application)
iv. फास्टिंग थेरेपी (Fasting Therapy)
v. नेचुरोपैथी डायग्नोसिस (Naturopathy Diagnosis)
vi. मॉर्डन डायग्नोसिस एण्ड फर्स्ट एड (Modern Diagnosis and First aid)
vii. सायकोलॉजी एण्ड बेसिक सायकेट्रिक (Psycology & Basic Psychiatry)

`

4. **चतुर्थ (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा :–**

(क) चतुर्थ (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा सामान्यतः चतुर्थ व्यावसायिक सत्र के अंत में होगी।

(ख) चतुर्थ (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले छात्रों को पहले, दूसरे और तृतीय व्यावसायिक के सभी विषयों को उत्तीर्ण करना होगा।

(ग) चतुर्थ (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा के बाद की अनुपूरक परीक्षा प्रत्येक छः महीने में आयोजित की जाएगी।

(घ) चतुर्थ (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा निम्नलिखित विषयों में होगी यथा :–

i. डाएटेटिक, न्यूट्रिशन एण्ड हर्ब (Dietetic, Nutrition and Herb)
ii. आबस्टेट्रिक्स एण्ड गायनेकोलॉजी (Obstetrics and Gynaecology)
iii. योगिक थेरेपी (Yogic Therapy)
iv. हायड्रो थेरेपी (Hydro Therapy)
v. फिजिओथेरेपी (Physiotherapy)
vi. हॉस्पिटल मैनेजमेंट (Hospital Management)

5. विषम बैच के छात्र (वे छात्र जो टर्म नहीं रख सके) के लिए कोई अलग कक्षा नहीं होगी और छात्र को नियमित बैच या जूनियर बैच के साथ कक्षा में शामिल होना होगा।
6. अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश में शामिल होने के लिए पात्र बनने के लिए, सभी चार व्यावसायिक परीक्षाएं प्रवेश की तारीख से अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी।
7. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अंक प्रत्येक विषय में थिओरी और प्रायोगिक दोनों के लिए पृथक–पृथक 50 प्रतिशत होंगे।
8. प्रत्येक व्यावसायिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए छात्रों की संबंधित व्यावसायिक की कक्षाओं में उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

23. **परीक्षा का मूल्यांकन :–**

(1) परीक्षा का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा एक बार कराया जावेगा। किसी छात्र को संशय होने पर पूनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

(2) विश्वविद्यालय की प्रैक्टिकल/क्लीनिकल/मौखिक परीक्षा के लिए दो परीक्षक (एक आंतरिक और एक बाह्य परीक्षक) होंगे।

प्रत्येक व्यावसायिक में विशय, प्रश्न पत्रों की संख्या, शिक्षण घंटे और अंक वितरण निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होंगे अर्थात :–

तालिका–3

विषय का नाम	शिक्षण घण्टों की संख्या			अधिकतम अंको का वितरण			
	सिद्धान्तिक	क्रियात्मक	कुल	प्रश्न पत्रों की संख्या	सिद्धान्तिक	क्रियात्मक	कुल
प्रथम व्यावसायिक बी.एन.वाय.एस							
1. एनाटॉमी	200	150	350	02	200	100	300
2. फिजिओलॉजी	200	150	350	02	200	100	300
3. बायोकेमिस्ट्री	100	100	200	01	100	100	200
4. फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर	150	100	250	02	200	100	300
5. योग प्रेक्टिसेस	100	100	200	01	100	100	200
कुल	**750**	**600**	**1350**	**08**	**800**	**500**	**1300**
द्वितीय व्यावसायिक बी.एन.वाय.एस							
1. पॅथोलाजी	150	100	250	01	100	100	200
2. माइक्रोबायोलाजी	150	100	250	01	100	100	200
3.कम्युनिटी मेडीसिन(हेल्थ)	150	100	250	01	100	100	200

4.योग फिलासॉफी	150	100	250	01	100	100	200
5.मॅग्नेटोथेरेपी एण्ड क्रोमोथेरेपी	150	100	250	01	100	100	200
6. फॉरेन्सिक मेडीसिन एण्ड टॉक्सिकोलाजी	50	50	100	01	50	50	100
कुल	**800**	**550**	**1350**	**06**	**550**	**550**	**1100**
तृतीय व्यावसायिक बी.एन.वाय.एस							
1. मैनिपुलेटिव थेरेपीज	100	100	200	01	100	100	200
2.एक्युपंक्चर	100	100	200	01	100	100	200
3.योग एप्लिकेशन	150	100	250	01	100	100	200
4. फास्टिंग थेरेपी	100	100	200	01	100	100	200
5.नेचुरोपॅथी डायग्नोसिस	100	100	200	01	100	100	200
6. मॉर्डन डायग्नोसिस एण्ड फर्स्ट एड	100	50	150	01	100	100	200
7. सायकोलॉजी एण्ड बेसिक सायकेट्रिक	100	50	150	01	50	50	100
कुल	**750**	**600**	**1350**	**07**	**650**	**650**	**1300**
चतुर्थ (अंतिम) व्यावसायिक बी.एन.वाय.एस							
1. डाएटिक्स,न्यूट्रिशन एण्ड हर्ब	200	100	300	01	100	100	200
2. आबस्टेट्रिक्स एण्ड गायनेकोलॉजी	200	100	300	01	100	100	200
3. योगिक थेरेपी	200	100	300	01	100	100	200
4. हायड्रो थेरेपी	200	150	350	02	200	100	300
5. फिजिओथेरेपी	150	100	250	01	100	100	200
6. हॉस्पिटल मैनेजमेंट	100	50	150	01	50	50	100
कुल	**1050**	**600**	**1650**	**07**	**650**	**550**	**1200**

24. **अध्ययन के दौरान छात्र का स्थानांतरण :–**

(1) छात्र को किसी अन्य महाविद्यालय से अपना अध्ययन जारी रखने हेतु प्रथम व्यावसायिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् स्थानान्तरण लेने की अनुमति दी जाएगी। अनुत्तीर्ण छात्रों को स्थानान्तरण तथा मध्यावधि स्थानान्तरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) स्थानान्तरण के लिए छात्रों को महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों दोनों की पारस्परिक सहमति प्राप्त करनी होगी और यह रिक्त सीट की सुनिश्चिति के पश्चात् होगा।

25. **उपस्थिति बनाए रखने के लिए दिशा–निर्देश (सैद्धांतिक/व्यावहारिक/नैदानिक घंटे)**

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों, कॉलेजों को ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली बनाए रखने की अनुशंसा की जाती है। हालाँकि, यदि विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण गतिविधियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भौतिक रजिस्टर बनाए जा रहे हैं, तो निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

(1)उपस्थिति संचयी संख्यांकन पद्धति से अंकित की जाएगी।
(क) उपस्थिति के मामले में 1, 2, 3, 4, 5, 6... इत्यादि अंकित किया जाना चाहिए;
(ख) अनुपस्थिति के मामले में, इसे 'ए' के रूप में अंकित किया जाना चाहिए
(ग) उदाहरणः P,P,P,A,P,P,A,A,P,P,P ... को (1, 2, 3, 4, ए, 5, 6, ए, ए, 7, 8, 9...) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।
(2) उपस्थिति के लिए सख्ती से 'P' चिह्नित करने से बचें।

(3) थ्योरी और प्रैक्टिकल/क्लीनिकल/गैर–व्याख्यान गतिविधियों के लिए अलग–अलग रजिस्टर बनाए रखना है।
(4) टर्म या कोर्स या सिलेबस के भाग के अंत में, अंतिम संख्या को कुल उपस्थिति के रूप में लिया जाना चाहिए।
(5) छात्र के हस्ताक्षर के बाद कुल उपस्थिति को संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए और उसके बाद प्राचार्य द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए।
(6) कई टर्म के मामले में, कोर्स के अंत में सभी टर्म की उपस्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और प्रतिशत की गणना क्लिनिकल सहित थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए अलग से की जानी चाहिए।

26. **अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश (**Compulsory Rotatory Internship**)**:–

(1) अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश की अवधि एक वर्ष होगी।
(2) छात्र प्रथम से चतुर्थ (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण करने के बाद और विश्वविद्यालयों से अनंतिम उपाधि प्रमाण पत्र तथा छत्तीसगढ़ राज्य परिषद से अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पात्र होगा।
(3) **शिष्यवृत्ति** :– विशिखानुप्रवेश के दौरान शासकीय महाविद्यालय से उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी को शिष्यवृत्ति का भुगतान
राज्य शासन के नियमों के अनुसार किया जाएगा।
(4) विशिखानुप्रवेश के दौरान स्थानान्तरण :–
(क) विशिखानुप्रवेश के दौरान किसी अन्य महाविद्यालय/चिकित्सालय में स्थानान्तरण संबंधित महाविद्यालय/चिकित्सालय और विश्वविद्यालय दोनों की सहमति से होगा।
(ख) संस्थान या महाविद्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा स्थानान्तरण स्वीकार किया जाएगा।
(5) विशिखानुप्रवेश के दौरान गतिविधियां :– प्रशिक्षणार्थी के दैनिक कार्य घंटे आठ घंटे से कम नहीं होंगे। प्रशिक्षणार्थी विशिखानुप्रवेश के दौरान प्रशिक्षणार्थी द्वारा की गई सभी गतिविधियों को शामिल करते हुए एक लॉगबुक बनाएगा।
(6) सामान्यतया एक वर्ष की विशिखानुप्रवेश निम्नानुसार (तालिका – 4) होगी :–
महाविद्यालय से जुड़े प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सालय में छः महीने और अन्य तीन महीने शासकीय योग वेलनेस सेन्टर में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में संचालित आयुष विंग में एवं शेष तीन महीने देश/प्रदेश के प्रतिष्ठित प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सालय में करना अनिवार्य होगा।

तालिका –4

विशिखानुप्रवेश अवधि का विवरण

स.क्र.	विभाग	अवधि
1	नैदानिक प्राकृतिक चिकित्सा	02 माह
2	योग एवं स्वास्थ्य परामर्श	01 माह
3	आहार पोषण एवं उपवास चिकित्सा	01 माह
4	भौतिक चिकित्सा	01 माह
5	एक्युपंक्चर, एक्युप्रेशर एवं चुंबक चिकित्सा	01 माह
6	शासकीय योग वेलनेस सेन्टर में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में संचालित आयुष विंग में	03 माह
7	देश/प्रदेश के प्रतिष्ठित प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सालय में	03 माह

(7) **लॉगबुक** :–
क. एक प्रशिक्षु (Intern) के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह एक विनिर्दिष्ट लॉगबुक में प्रतिदिन के आधार पर उसके द्वारा की गई/सहायता/देखी गई प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड बनाए रखे जिसे संबंधित चिकित्सा अधिकारी या यूनिट या विभाग के प्रमुख द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जायेगा।
ख. विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में डीन/प्राचार्य/निर्देशक द्वारा विधिवत रूप से पूर्ण किये हुये एवं प्रमाणित लॉगबुक प्रस्तुत करने में असफल होने के परिणामस्वरूप उसका विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम रद्द किया जा सकता है।
ग. संस्था पूर्ण और प्रमाणित लॉगबुक अपने पास रखेगी और सत्यापन के लिए उपलब्ध करायेगी।

(8) **प्रशिक्षणार्थी के लिए अवकाशः –**

क. एक वर्ष की अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश के दौरान कुल 12 दिनों के अवकाश की अनुमति होगी और 12 दिनों से अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति में परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

ख. प्रशिक्षणार्थी एक समय में एक साथ 6 दिनों से अधिक अवकाश नहीं ले सकता है।

ग. यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विशिखानुप्रवेश के दौरान विशिखानुप्रवेश शुरू होने में कोई देरी या असामान्य अवरोध हो, तो ऐसे मामलों में विशिखानुप्रवेश अवधि चतुर्थ (अंतिम) व्यवसायिक बी.एन.वाय.एस. की योग्यता परीक्षा पास करने की तारीख से तीन साल की अधिकतम अवधि के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

घ. विशिखानुप्रवेश प्रारंभ करने हेतु छात्र सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोध पत्र संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करेगा। संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि वह दस्तावेजों की जांच करें और अनुमति पत्र जारी करेंगे।

अनुसूची – 1

महाविद्यालय से संलग्न चिकित्सालय के निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता

स. क्र.	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	
		50 छात्रों तक	100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
	चिकित्सालय भवन का कुल निर्मित क्षेत्र	1500	2800
1	अधीक्षक कक्ष	150	200
2	प्रशासनीक खण्ड		
3	स्वागत तथा पंजीकरण कक्ष		
4	उपअधीक्षक कक्ष		
5	चिकित्सा अधिकारी कक्ष/आवासीय चिकित्सा अधिकारी कक्ष		
6	भण्डार कक्ष		
7	मेडिकल रिकार्ड रूम		
8	कपड़ा धोने का कमरा		
9	बाह्म रोगी खण्ड अ. नैदानिक प्राकृतिक चिकित्सा ब. योग एवं स्वास्थ परामर्श स. आहार पोषण एवं उपवास चिकित्सा द. भौतिक चिकित्सा इ. एक्युपंक्चर, एक्युप्रेशर एवं चुंबक चिकित्सा फ. आपातकालीन चिकित्सा	50	100
10	अंतरंग रोगी खण्ड डॉक्टर ड्यूटी रूम, नर्सिंग रूम, आत्यायिक कक्ष, थेरेपी कक्ष, प्रिपरेशन कक्ष, प्रसाधन कक्ष सहित		
	पुरूष वार्ड सामान्य अर्द्ध निजी निजी	400	800
	महिला वार्ड सामान्य अर्द्ध निजी निजी	400	800
11	योगा हॉल	55	100
12	चिकित्सकीय खण्ड		
	जलचिकित्सा	100	150
	मृदाचिकित्सा	20	30

`	चुम्बकीय चिकित्सा	20	50
	भौतिक चिकित्सा एवं मोम चिकित्सा	50	80
	एक्यूपंचर / एक्यूप्रेशर	20	30
	क्रोमोथेरेपी	15	30
	मेनीपुलेटिव थेरेपी	40	60
13	षट्कर्म कक्ष	20	60
14	पाकशाला	70	150
15	प्रसाधन कक्ष (बहिरंग कक्ष हेतु)	20	30
16	इन्टर्न कक्ष	20	40
17	हाउसकीपिंग कक्ष	20	40
18	नैदानिक प्रयोगशाला	30	50
कुल योग		**1500**	**2800**

नोटः

1. विभिन्न घटकों के बीच उपरोक्त निर्दिष्ट उप–विभाजित क्षेत्र ± बीस प्रतिशत के भीतर भिन्न हो सकता है। लेकिन संलग्न चिकिल्सालय का कुल क्षेत्र विनियमन में निर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होगा।

2. बाह्य रोगी विभाग के साथ संलग्न शौचालय की आवश्यकता उन महाविद्यालय के लिए लागू है जो 2024–25 के बाद स्थापित किए गए हैं।

3. शर्तीय अनुमति के लिए, महाविद्यालय के संलग्न चिकित्सालय का कुल निर्मित क्षेत्र विनियम में निर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार ± बीस प्रतिशत के भीतर भिन्न हो सकता है।

अनुसूची – **2**

महाविद्यालय के निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता

स. क्र.	**विवरण**	**निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर में)**	
		50 छात्रों तक	**100 छात्रों तक**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
	महाविद्यालय भवन का कुल निर्मित क्षेत्र (योग प्रदर्शन कक्ष सहित)	1500	2800
1	**प्रशासनिक खण्डः** कॉलेज का प्रशासनिक खण्ड में प्राचार्य कक्ष, व्यक्तिगत सहायक कक्ष, स्वागत कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष, स्टाफ समिति कक्ष, क्लर्कों का कक्ष, नगद और लेखा अनुभाग, रिकॉर्ड कक्ष, केंद्रीय भंडार और पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग शौचालय शामिल होगा।	50	100
2	**व्याख्यान हॉलः** कम से कम पांच व्याख्यान हॉल होने चाहिए, जिसमें पचास सीटों के लिए प्रत्येक का क्षेत्र 70 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 51–100 सीटों के लिए 140 वर्ग मीटर का होगा, उचित बिजली आपूर्ति, ऑडियो–विजुअल शिक्षण उपकरण, पंखे या कूलर और आरामदायक बैठने की व्यवस्था, थिएटर प्रकार की। प्रत्येक मंजिल पर लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए जाने चाहिए।	350	700
3	**सेमिनार या सम्मेलन या परीक्षा हॉलः** महाविद्यालय परिसर में एक बड़ा हॉल जिसमें 250–300 लोगों के बैठने की क्षमता हो, बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, परीक्षाओं, परामर्श आदि के लिए उपलब्ध होगा। हॉल में पर्याप्त विद्युत और बैठने की व्यवस्था और ऑडियो–विजुअल सिस्टम की सुविधाएं होंगी।	100	200
4	**केंद्रीय पुस्तकालयः** 50 की प्रवेश क्षमता के लिए एक केंद्रीय पुस्तकालय में कम से कम 50 व्यक्तियों के लिए और 51–100 की क्षमता के लिए 80 व्यक्तियों के लिए बैठने की क्षमता होनी चाहिए,	100	200

`	आलमारियों की पर्याप्त संख्या, स्टॉक्स रखने के लिए पर्याप्त स्थान, शिक्षकों के लिए अलग पढ़ने का स्थान, पुस्तकालयाध्यक्ष का कमरा, इंटरनेट की सुविधा। पुस्तकालय में उचित प्रकाश व्यवस्था, पंखे या कूलर, पीने के पानी की व्यवस्था और शौचालय की सुविधाएं होनी चाहिए। 50 की क्षमता के लिए पुस्तकालय में छात्रों के पहले प्रवेश के समय में पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों की 2000 पुस्तकें होनी चाहिए। पुस्तकों की संख्या दूसरे और तीसरे बैच के छात्रों के प्रवेश से पहले 1000–1000 और चौथे बैच के छात्रों के प्रवेश से पहले 2000 तक बढ़नी चाहिए। 100 की क्षमता के लिए पहले प्रवेश के समय में प्राकृतिक चिकित्सा और योग, आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा और संबद्ध विज्ञानों के विभिन्न शीर्षकों की 3000 पुस्तकें होनी चाहिए। पुस्तकों की संख्या दूसरे और तीसरे बैच के छात्रों के प्रवेश से पहले 1500 – 1500 और चौथे बैच के छात्रों के प्रवेश से पहले 2000 तक बढ़नी चाहिए।		
5	शिक्षण विभाग	675	1200
	तेरह शिक्षण विभाग होंगे, प्रत्येक में शिक्षकों के लिए कमरे, विभागीय पुस्तकालय, गैर–शिक्षण स्टाफ के लिए कार्यस्थल और व्यक्तिगत विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार एक संग्रहालय या प्रयोगशाला होगी। विभागवार क्षेत्र की आवश्यकताएँ इस प्रकार होंगीः –		
	1– एनाटॉमी विभाग	50	100
	2– फिजियोलाजी एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग	75	100
	3– फिलोसॉफी ऑफ नेचुरोपैथी एवं यौगिक सिद्धान्त विभाग	50	75
	4– योगा एवं माईण्ड बाडी मेडिसिन विभाग	50	75
	5– पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग	50	75
	6– कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग	50	100
	7– एनर्जी मेडिसिन एवं कलर और मैग्नेटो विभाग	50	100
	8– मैनिपुलेटिव थेरेपीज़ और पुनर्वास के साथ फिजिकल मेडिसिन विभाग	50	100
	9– सहायक स्वास्थ्य विज्ञान, फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान, औषधि विज्ञान विभाग	50	100
	10– उपवास, आहार विज्ञान, पोषण और औषधि विभाग	50	100
	11– आधुनिक निदान विधि, प्रसूति और स्त्री रोग विभाग	50	100
	12– हाइड्रोथेरेपी और मिट्टी थेरेपी विभाग	50	75
	13– नैचुरोपैथी, नैचुरोपैथी निदान विधियाँ, नैचुरोपैथी चिकित्सा, योग चिकित्सा, अनुसंधान पद्धति विभाग	50	100
6	**कॉमन रूमः** छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग कॉमन रूम पर्याप्त स्थान और बैठने की व्यवस्था के साथ उपलब्ध होंगे	25	50
7	**कैन्टीनः** महाविद्यालय परिसर में लगभग 100 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था के साथ कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध होगी	25	50
8	**योग प्रदर्शन कक्ष**		
	योगा हॉल	100	200
	योग षट्कर्म कक्ष	30	50
	प्रसाधन कक्ष	45	50
	कुल योग	**1500**	**2800**

1. उपरोक्त निर्दिष्ट विभाजित क्षेत्र विभिन्न घटकों के बीच ± बीस प्रतिशत के भीतर भिन्न हो सकता है, लेकिन एक प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान महाविद्यालय का कुल क्षेत्र निर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार होगा।

2. शर्तों के अनुसार अनुमति के लिए महाविद्यालय का कुल निर्मित क्षेत्र निर्दिष्ट क्षेत्र के अनुसार ± बीस प्रतिशत के भीतर भिन्न हो सकता है।

`

अनुसूची – 3

हर्बल गार्डन की अधोसंरचना

स. क्र.	विवरण	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	
		50 छात्रों तक	100 छात्रों तक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	**हर्बल गार्डनः** एक अच्छी तरह से विकसित औषधीय पौधों का बगीचा जिसमें औषधीय पौधों की आवश्यकतानुसार पचास/ सत्तर प्रजातियाँ हों।	2500	4000

नोटः – उपरोक्त निर्दिष्ट क्षेत्र प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान महाविद्यालय के कुल क्षेत्र का ± बीस प्रतिशत के भीतर भिन्न हो सकता है जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।

अनुसूची – 4

प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालय से संलग्न चिकित्सालय के स्टॉफ का विवरण :–

स. क्र.	विभाग	पद नाम	50 सीट तक	51 से 100 सीट तक	योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चिकित्सालय	चिकित्सा अधीक्षक	01	01	1. चिकित्सा अधीक्षक के पद पर वर्तमान व्यक्ति की योग्यता प्रोफेसर से कम नहीं होनी चाहिए। या 2. प्राचार्य या डीन कार्यकारी चिकित्सा अधीक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं। हालाँकि, यदि चिकित्सा अधीक्षक का मौजूदा पद है, तो यह जारी रहेगा।
2		उप–चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी	01	01	1. योग्यता BNYS & MD या 05 वर्षों के नैदानिक अनुभव के साथ BNYS होनी चाहिए। 2. शिक्षण स्टाफ के अलावा पूर्णकालिक नियमित पदाधिकारी।
3		परामर्शदाता	05	05	नैदानिक विभाग, जिनमें योग विभाग सम्मिलित हों, के शिक्षक
4		आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी	01	01	1. योग्यता MBBS/ BNYS/ BAMS या BHMS होनी चाहिए। 2. वांछनीयः आपातकालीन चिकित्सा में योग्यता और अनुभव।
5		आवासीय चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी (आर.एम.ओ या एम.ओ.)	05 प्रत्येक ओपीडी हेतु 01–01	05 प्रत्येक ओपीडी हेतु 01–01	योग्यता BNYS होनी चाहिए।

6	कार्यालय	क्लर्क	01	02	कम्प्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक
`7		एकाउन्टेंट	01	01	कम्प्यूटर ज्ञान के साथ बी.काम.
8		रिसेप्सनिस्ट	01	01	कम्प्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक
9		भण्डारपाल	01	01	कम्प्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक
10		चपरासी / परिचारक	01	02	8 वीं पास
11	वार्ड	मेट्रन	01	01	बीएससी नर्सिंग
12		सहायक मेट्रन	00	01	बीएससी नर्सिंग
13		नर्स	02	04	बीएससी नर्सिंग / जी.एन.एम.
14		सुपरवाइजर	01	02	कम्प्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक
15	चिकित्सा खण्ड	योगा इन्स्ट्रक्टर	02 (1 महिला 1 पुरूष)	04 (2 महिला 2 पुरूष)	योग विज्ञान में डिप्लोमा
16		थेरेपिस्ट	02 (1महिला 1 पुरूष)	04 (2 महिला 2 पुरूष)	12 वीं के पश्चात्
17		मसाजर	02 (1 महिला 1 पुरूष)	04 (2 महिला 2 पुरूष)	8 वीं उत्तीर्ण
18	नैदानिक प्रयोगशाला	प्रयोगशाला तकनीशियन	01	02	लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा
19		चपरासी / परिचारक	01	02	8 वीं पास
20	अन्य	वार्ड ब्वाय	02	04	8 वीं पास
21		रसोईया	01	02	8 वीं पास
22		सहायक रसोईया	00	01	8 वीं पास
23		स्वच्छक	02	04	8 वीं पास
24		इलेक्ट्रीशियन	01	01	विद्युत कार्य संबंधी डिप्लोमा
25		ड्राईवर	01	02	लाईसेंस के साथ 10 वीं पास
26		सुरक्षाकर्मी	02	02	8 वीं पास
27		प्लम्बर	01	01	8 वीं पास
		कुल	34 (परामर्शदाताओं को छोड़कर)	56 (परामर्शदाताओं को छोड़कर)	

नोटः—

(1) चिकित्सालय में सुरक्षा, सिविल एवं विद्युत, स्वच्छता, आहार एवं कैंटीन, कपड़े धोने, अग्नि सुरक्षा तथा जैव—चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं प्रयोगशाला के लिए निपटान सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

(2) आवश्यक ड्यूटी स्टाफ एवं सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध होनी चाहिए।

(3) गैर—तकनीकी स्टाफ जैसे चपरासी, परिचारक, सफाई कर्मचारी, गार्ड, धोबी, माली एवं रसोइया आदि की सेवाएं आउटसोर्सिंग द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं।

(4) सशर्त अनुमति के लिए उपर्युक्त अस्पताल स्टॉफ का न्यूनतम अस्सी प्रतिशत होना आवश्यक है।

अनुसूची – 5

प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान महाविद्यालय चिकित्सालय के लिए आवश्यक यंत्र–शस्त्र एवं उपकरण

स.क्र.	उपकरण	50 सीट तक	51 से 100 सीट तक
(1)	(2)	(3)	(4)
अधीक्षक कक्ष			
1	कम्प्यूटर एवं प्रिंटर	01	01
2	सूचना पटल	01	01
कार्यालय			
3	कम्प्यूटर एवं प्रिंटर	02	02
4	सूचना पटल	01	02
उप अधीक्षक / मुख्य चिकित्सक कक्ष			
5	एग्जामिनेशन टेबल	01	01
6	बी.पी. मशीन	01	02
7	स्टेथोस्कोप	01	02
8	नी हेमर	01	02
9	टंग डिप्रेसर	01	02
10	टार्च	01	02
11	वजन मशीन	1	1
प्रत्येक परामर्शदाता कक्ष/ओ.पी.डी.			
12	एग्जामिनेशन टेबल	01	01
13	बी.पी. मशीन	01	02
14	स्टेथोस्कोप	01	02
15	नी हेमर	01	02
16	टंग डिप्रेसर	02	02
17	टार्च	01	02
18	वजन मशीन	1	1
चिकित्सा अधिकारी कक्ष			
19	एग्जामिनेशन टेबल	01	02
20	बी.पी. एप्रेटस	02	04
21	स्टेथोस्कोप	01	02
22	नी हेमर	01	02
23	टंग डिप्रेसर	02	04
24	टार्च	01	02
25	वजन मशीन	1	1
वार्ड			
26	प्रवेश अनुपात और कुल आवंटित बिस्तरों के अनुसार सभी आवश्यक सहायक उपकरण सहित बिस्तर	वर्गीकृत	वर्गीकृत
हाइड्रोथेरेपी			
27	हिप बाथ	06	10
28	प्लेन स्पाइनल बाथ	06	10
29	स्प्रे स्पाइनल बाथ	04	06
30	इमर्शन बाथ	02	04
31	वर्पूल बाथ	01	02
32	जेकुजी बाथ	01	02
33	स्टीम बाथ	04	06

34	एनिमा सेट (मेटल)	04	08
35	आर्म एण्ड फुट बाथ	04	06
36	पैक्स – चेस्टपीस, फूल वेटसीट पैक आदि	वर्गीकृत	वर्गीकृत
37	अलमारी	02	03
38	जेट बाथ	01	01
39	फेसियल सौना	02	04
40	सौना बाथ	01	02
मेनीपुलेटिव थेरेपी			
41	मसाज टेबल	04	08
42	स्टूल / चेयर	04	08
43	वाइब्रेटरी मसाजर	02	04
44	रैक	04	08
45	आइल मैट आदि	वर्गीकृत	वर्गीकृत
मृदा चिकित्सा			
46	फाइबर ग्लास ट्रे (बड़ा, मध्यम एवं छोटा)	25	50
47	कपड़े, मृदा, मड सोकिंग टैंक, मैट्स आदि		
क्रोमोथेरेपी			
48	कलर ग्लास युक्त क्रोमोडिस्क	02 सेट	04 सेट
49	क्रोमो लेंस – लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी	02 सेट	04 सेट
50	सोलर थर्मोलियम सिंटिंग एवं रेक्लीनिंग	02	04
51	रंगीन बल्ब – 60 और 100 वाट	2 सेट	4 सेट
52	स्टैण्ड युक्त रिफ्लेक्टर	02	04
53	रंगीन बॉटल (1 लिटर)	07	14
54	फ्रेम युक्त रंगीन ग्लास	7	14
55	टेबल लैम्प एवं क्रोमो बाक्स	03	06
चुम्बकीय चिकित्सा			
56	इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेड	01	02
57	इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेयर	01	02
58	हीलिंगइलेक्ट्रोमैग्नेट	02	04
59	इलेक्ट्रोफूट मैग्नेटाइजर	02	04
60	नचिकेत – क्लिनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेट	02	02
61	परमानेन्ट – हाई, मिडियम एवं लो पावर और प्रिमियर हीलिंग मैग्नेट, हार्स शू मैग्नेट	02 जोड़ी प्रत्येक	04 जोड़ी प्रत्येक
62	सिरेमिक मैग्नेट	02 सेट	04 सेट
63	मैग्नेटिक बेल्ट्स	02	04
64	अस्थमा क्लैम्प, इयर क्लैम्प, मैग्नेटिक स्पेक्टेकल, मैग्नेटिक शू	02 सेट प्रत्येक	04 सेट प्रत्येक
फिजियोथेरेपी			
65	लम्बोसैक्रल बेल्ट्स	02	04
66	गायनेक यूनिवर्सल बाईंडर्स	02	04
67	हर्निया बेल्ट्स	02	04
68	रिसाइजेबल नी कैप्स	02	04
69	नी सपोर्ट	02	04
70	वेरिकोस वेन स्टाकिंग्स	02	04
71	पेल्विक स्प्रेडर बार	02	04
72	मल्टीपर्पस रेस्ट्रेस्ट्रेप	05	10
73	पोस्चर एड	02	04
74	फूट ट्रेक्शन किट	02	04
75	एन्कल ट्रेक्शन होल्डर	02	04

76	वाटर स्टैण्ड बैग	10	20
` 77	एडजस्टेबल क्रटचेस	04	08
78	फोरआर्म क्रटचेस	04	08
79	बिना व्हिल के वाकर फोल्डिंग	04	08
80	वाकिंग स्टिक	04	08
81	हिप साइकल	03	06
82	शर्टवेभ डाइथर्मी	01	02
83	मसल्स स्टिमुलेटर	01	02
84	अल्ट्रासाउण्ड थेरेपी	01	02
85	वैक्स बाथ एप्रेटस	01	02
86	इन्टरफेरेन्टियल थेरेपी	01	02
87	युव्ही एवं आइआर लाइट्स	05 प्रत्येक	10 प्रत्येक
88	शोल्डर व्हिल	02	04
89	क्वाड्रिशेप्स स्ट्रेग्थनर	02	04
90	एक्सरसाइज सायकल	01	02
91	स्टेपर	02	04
92	मेकेनिकल जॉगर	01	02
93	वाइब्रेटर	02	04
एक्यूपंक्चर और रिफ्लैक्सोलॉजी			
94	बेड, मैट्रेस, पिलो, बेडसीट आदि	वर्गीकृत	वर्गीकृत
95	एक्यूपंक्चर स्टीमुलेटर	05	10
96	रिफ्लेक्सोलाजी ट्रेक	01	01
97	रैक्स	05	10
98	एक्यूपंक्चर उपकरण सेट	02	04
योगा शट्कर्म			
99	लोटा, सूत्र नेती, दण्ड धौति, जग, ग्लास सेट आदि	वर्गीकृत	वर्गीकृत
100	सोलर/गैस गिजर	1	2
101	योगा मैट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
रसोइ कक्ष एवं भोजन कक्ष			
102	यूटेन्सिल	वर्गीकृत	वर्गीकृत
103	सीट क्षमता अनुसार फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक वस्तु	वर्गीकृत	वर्गीकृत
104	मिक्सर ग्रायंडर विथ जार	1	1
105	इंडक्शन/एल.पी.जी बर्नर स्टोव	1	1
106	स्टील कंटेनर विथ डिफरेंट साइज	10	20
107	डस्टबिन	2	2
108	वेट ग्रायंडर	2	2
109	वेट स्केल विथ डिजिटल डिस्प्ले	2	2
110	वेसल 2 ली 1.5 ली 1 ली 0.5 ली	2 2 2 2	2 2 2 2
111	वेसल (स्टेनलेस स्टील) कॉपर बोटम कॉपर बोटम नॉन कॉपर बोटम नॉन कॉपर बोटम	 1 1 1 1	 1 1 1 1
112	चक्कू	3	3

113	जूस मिक्सर	1	1
114	सर्विंग स्पून	10	20
115	चटनी बाउल	30	60
116	स्टेनलेस स्टील प्लेट	5	10
117	स्टेनर	2	4
118	खलदस्ता	1	2
119	चोपिंग एंड स्क्रेपिंग इक्विपमेंट	5	5
120	स्टेनलेस स्टील टम्बलर बड़ी साइज मध्यम साइज लघु साइज	 1 1 1	 1 1 1
121	कुकर	1	2
122	फ्राई पैन	1	2
123	सर्विंग ट्रे	2	2
124	थर्मस	1	1
125	15 लीटर कुकिंग ओवन	1	2
126	220 लीटर रेफ्रीजिरेटर	1	1

अनुसूची – 6

पुरूष छात्रावास

स.क्र.	उपकरण	स्थान (वर्गमी.) 50 सीट तक	स्थान (वर्गमी.) 51 से 100 सीट तक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	छात्र कक्ष	152 (19 X 8)/प्रतिवर्ष	152 (19 X 8) X 2/प्रतिवर्ष
2	वार्डन कक्ष	12	12
3	मनोरंजन कक्ष	50	100
4	रसोई कक्ष	30	60
5	भोजन कक्ष	50	100
6	सुरक्षा गार्ड कक्ष	20 (2 X 10)	40 (4 X 10
7	शौचालय	10	10
8	कपड़ा धोने हेतु कक्ष	10	10

अनुसूची – 7

कन्या छात्रावास

स.क्र.	उपकरण	स्थान (वर्गमी.) 50 सीट तक	स्थान (वर्गमी.) 51 से 100 सीट तक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	छात्र कक्ष	152 (19 X 8)/प्रतिवर्ष	152 (19 X 8) X 2 /प्रतिवर्ष
2	वार्डन कक्ष	12	12
3	मनोरंजन कक्ष	50	100
4	रसोई कक्ष	30	60
5	भोजन कक्ष	50	100
6	सुरक्षा गार्ड कक्ष	20 (2 X 10)	40 (4 X 10
7	शौचालय	10	10
8	कपड़ा धोने हेतु कक्ष	10	10

अनुसूची – 8
प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय हेतु आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ

स. क्र.	विभाग	50 सीट तक			51 से 100 सीट तक			
		प्रो. री.	लेक्चरर	कुल	प्रोफेसर	रीडर	लेक्चरर	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	एनाटॉमी विभाग	1 या 1	01	02	01	01	01	03
2	फिजियोलाजी एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग	1 या 1	01	02	01	01	01	03
3	फिलोसॉफी ऑफ नेचुरोपैथी एवं यौगिक सिद्धान्त विभाग	1 या 1	02	03	01	01	03	05
4	योगा एवं माईण्ड बाडी मेडिसिन विभाग	1 या 1	02	03	01	01	03	05
5	पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग	1 या 1	01	02	01	01	01	03
6	कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग	1 या 1	01	02	01	01	01	03
7	एनर्जी मेडिसिन एवं कलर और मैग्नेटो विभाग	1 या 1	01	02	01	01	01	03
8	मैनिपुलेटिव थेरेपीज़ और पुनर्वास के साथ फिजिकल मेडिसिन विभाग	1 या 1	01	02	01	01	01	03
9	सहायक स्वास्थ्य विज्ञान, फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान, औषधि विज्ञान विभाग	1 या 1	01	02	01	01	01	03
10	उपवास, आहार विज्ञान, पोषण और औषधि विभाग	1 या 1	01	02	01	01	01	03
11	आधुनिक निदान विधि, प्रसूति और स्त्री रोग विभाग	1 या 1	01	02	01	01	02	04
12	हाइड्रोथेरेपी और मिट्टी थेरेपी विभाग	1 या 1	01	02	01	01	02	04
13	नैचुरोपैथी, नैचुरोपैथी निदान विधियाँ, नैचुरोपैथी चिकित्सा, योग चिकित्सा, अनुसंधान पद्धति विभाग	1 या 1	01	02	01	01	02	04
कुल योग		**13**	**15**	**28**	**13**	**13**	**20**	**46**

नोटः–

1. 50 की प्रवेश क्षमता तक शिक्षकों की कमी कुल आवश्यकता का 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें तेरह विभागों में से प्रत्येक में कम से कम एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए। उच्च संकाय की कुल संख्या 13 प्रोफेसरों या रीडरों में 10% से कम नहीं होनी चाहिए, जो विभिन्न विभागों में वितरित हों। यह छूट विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश लेने की शर्तों की अनुमति प्राप्त करने के लिए है।

उदाहरण के लिए– महाविद्यालय जिसमें 50 की क्षमता है, उसमें कुल न्यूनतम 25 संकाय होने चाहिए, जिनमें से न्यूनतम 11 प्रोफेसर या रीडर 10 विभागों को कवर करते हुए होने चाहिए।

2. 51–100 सीटों की क्षमता के लिए कुल शिक्षकों की कमी कुल आवश्यकता का 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए और उच्च संकाय की कमी कुल शिक्षकों का 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक 13 विभागों में न्यूनतम एक उच्च संकाय और एक व्याख्याता की उपलब्धता हो। उच्च संकाय की कुल संख्या 21 से कम नहीं होनी चाहिए। यह छूट विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश लेने की शर्तों के तहत अनुमति प्राप्त करने के लिए है।

उदाहरण के लिए– 51–100 सीटों की क्षमता वाले महाविद्यालय में न्यूनतम 41 कुल संकाय होने चाहिए, जिनमें से न्यूनतम 21 प्रोफेसर या रीडर सभी 13 विभागों को कवर करते हैं।

3. जहां विभाग में अतिरिक्त प्रोफेसर या रीडर उपलब्ध हैं, वहां अतिरिक्त प्रोफेसर को रीडर या व्याख्याता की आवश्यकता के स्थान पर माना जाएगा और अतिरिक्त रीडर को व्याख्याता की आवश्यकता के स्थान पर माना जाएगा।

अनुसूची — 9

प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय हेतु शैक्षणिक स्टॉफ की आवश्यक योग्यता —

स. क्र.	पद	आवश्यक योग्यता
(1)	(2)	(3)
01	प्रोफेसर	B.N.Y.S with M.D or Ph.D with 5 Years Teaching Experience as a Reader or Associate Professor . Or B.N.Y.S with 10 Years Teaching Experience as a Lecturer.
02	रीडर / एसो. प्रोफेसर	B.N.Y.S with M.D or Ph.D with 5 Years Teaching Experience /B.N.Y.S with 05 Years Teaching Experience
03	लेक्चरर / असि. प्रोफेसर	B.N.Y.S with M.D/ B.N.Y.S from recognized University

नोटः— उपरोक्त पात्रता मानदंड सभी नई नियुक्तियों पर लागू होते हैं। पहले से नियुक्त शिक्षक उपरोक्त मानदंड से छूट प्राप्त कर सकते हैं।

अनुसूची — 10

प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय हेतु आवश्यक गैर शैक्षणिक स्टाफ

स.क्र.	विभाग	पद	50 सीट हेतु	51 से 100 सीट हेतु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कार्यालय	क्लर्क	02	03
		एकाउन्टेन्ट	01	01
		भण्डारपाल	01	01
		चपरासी / परिचर	01	02
2	पुस्तकालय	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01
		सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	00	01
		चपरासी / परिचर	01	01
3	उद्यान	माली	01	02
		बहु—उद्देशीय कार्यकर्ता	01	02
4	एनाटॉमी विभाग	संग्रहालयपाल	01	02
		चपरासी / परिचर	01	02
5	फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग	लैब तकनीशियन	01	02
		चपरासी / परिचर	01	02
6	पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग	लैब टेक्निशीयन	01	02
		चपरासी / परिचर	01	02
7	कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग	चपरासी / परिचर	01	02
8	एनर्जी मेडिसिन एवं कलर और मैग्नेटो विभाग	संग्रहालयपाल	01	02
		चपरासी / परिचर	01	02
9	मैनिपुलेटिव थेरेपीज़ और पुनर्वास के साथ फिजिकल मेडिसिन विभाग	संग्रहालयपाल	01	02
		चपरासी / परिचर	01	02
10	सहायक स्वास्थ्य विज्ञान, फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान, औषधि विज्ञान विभाग	संग्रहालयपाल	01	02
		चपरासी / परिचर	01	02
11	उपवास, आहार विज्ञान, पोषण और औषधि विभाग	संग्रहालयपाल	01	02
		चपरासी / परिचर	01	02
12	आधुनिक निदान विधि, प्रसूति और स्त्री रोग विभाग	चपरासी / परिचर	01	02
13	हाइड्रोथेरेपी और मिट्टी थेरेपी विभाग	संग्रहालयपाल	01	02
		चपरासी / परिचर	01	02

14	नैचुरोपैथी, नैचुरोपैथी निदान विधियाँ, नैचुरोपैथी चिकित्सा, योग चिकित्सा, अनुसंधान पद्धति विभाग	संग्रहालयपाल	01	02
		चपरासी / परिचर	01	02

सशर्त अनुमति के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों में 30 प्रतिशत और अन्य स्टाफ हेतु 20 प्रतिशत की छूट होगी।

अनुसूची – 11

आवश्यक फर्नीचर की आवश्यकता

स. क्र.	आवश्यक वस्तु	50 सीट हेतु	51 से 100 सीट हेतु
(1)	(2)	(3)	(4)
पुस्तकालय			
1	बुक शेल्फ	20	40
2	सुचना पटल	2	03
3	पर्याप्त बैठक व्यवस्था के साथ वाचनालय	50 छात्रों हेतु	80 छात्रों हेतु
4	जर्नल	वर्गीकृत	वर्गीकृत
5	स्टेशनरी	वर्गीकृत	वर्गीकृत
6	पुस्तकें		
	प्रथम वर्ष के प्रारंभ समय	2000	3000
	द्वितीय वर्ष के प्रारंभ समय	3000	4500
	तृतीय वर्ष के प्रारंभ समय	4000	6000
	अंतीम वर्ष के प्रारंभ समय	6000	8000
प्रत्येक व्याख्यान कक्ष हेतु			
7	कुर्सी एवं टेबल	50	100
8	कुर्सी एवं बड़ा टेबल (शिक्षक हेतु)	01	01
9	पोडियम	01	01
10	ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड आदि अन्य आवश्यक उपकरण	वर्गीकृत	वर्गीकृत
11	प्रांजेक्टर, कम्प्यूटर, डिस्प्ले स्क्रीन आदि आडियोविजुवल उपकरण	वर्गीकृत	वर्गीकृत
खेलकूद			
12	इनडोर एवं आउटडोर हेतु आवश्यक उपकरण एवं अन्य सामग्री	वर्गीकृत	वर्गीकृत

अनुसूची – 12

योगा हाल

स. क्र.	आवश्यक वस्तु	50 सीट हेतु	51 से 100 सीट हेतु
(1)	(2)	(3)	(4)
योगा हाल			
1	कारपेट (1500 वर्गफीट)	वर्गीकृत	वर्गीकृत
2	दरी एवं योगा मैट	50	100
3	पी.ए. सिस्टम	02	04
4	स्मार्ट बोर्ड, डिस्प्ले यूनिट, स्क्रीन या एलइडी डिस्प्ले	02	04
योग शटकर्म विभाग			
1	लोटा, सूत्र नेती, दण्ड धौती, जग, गिलास, वमनपात्र	वर्गीकृत	वर्गीकृत
2	सोलर / गॅस गिजर –	वर्गीकृत	वर्गीकृत
3	अन्य आवश्यक	वर्गीकृत	वर्गीकृत

अनुसूची – 13

एनाटॉमी विभाग हेतु आवश्यक यंत्र, शस्त्र एवं उपकरणों की सूची

स. क्र.	यंत्र, शस्त्र एवं उपकरण	50 सीट हेतु	51 से 100 सीट हेतु
(1)	(2)	(3)	(4)
1	स्केलेटन सेट	1	2
2	लुस स्केलेटन सेट	5	10
3	महिला एवं पुरूष का लाइफ साइज माडल	1 प्रत्येक	2 प्रत्येक
4	शरीर के विभिन्न संस्थानों का सेट	1	2
5	स्लाइड हेतु कैबिनेट	1	2
6	हिस्टोलॉजी स्लाइड	वर्गीकृत	वर्गीकृत
7	इम्ब्रियोलॉजिकल स्पेशिमेन एवं अन्य स्पेशिमेन	वर्गीकृत	वर्गीकृत
8	स्पेशिमेन जार	वर्गीकृत	वर्गीकृत
9	डिसेक्टेड अंगो को रखने हेतु स्लास्टिक टैंक	वर्गीकृत	वर्गीकृत
10	चार्ट, डाइग्राम	वर्गीकृत	वर्गीकृत
11	मॉडल – ह्यूमेन आईबाल	1	2
12	मॉडल – ऑटोनामिक नर्वस सिस्टम	1	2
13	मॉडल – फैरिंक्स एवं लैरिंक्स	1	2
14	मॉडल – फेफड़ा	1	2
15	मॉडल – यकृत	1	2
16	मॉडल – पाचन तंत्र	1	2
17	मॉडल – सर्कुलेटरी सिस्टम	1	2
18	मॉडल – मूत्रवह संस्थान	1	2
19	मॉडल – पुरूष प्रजनन तंत्र	1	2
20	मॉडल – स्त्री प्रजनन तंत्र	1	2
21	हृदय का स्ट्रक्चर	1	2
22	ब्रेन का स्ट्रक्चर	1	2
23	हड्डी का स्ट्रक्चर	1	2
24	खोपड़ी का स्ट्रक्चर	1	2
25	नेत्र का स्ट्रक्चर	1	2
26	कान, नाक एवं गले का स्ट्रक्चर	1	2
27	त्वचा का स्ट्रक्चर	1	2
28	दांत का स्ट्रक्चर	1	2
29	वृक्क का स्ट्रक्चर	1	2
30	गर्भावस्था एवं प्रसव का स्ट्रक्चर	1	2
31	इम्ब्रियो विकास का स्ट्रक्चर	1	2
32	दांतों का चार्ट	1	2
33	जलने के फर्स्टएड का चार्ट	1	2
34	आप्थेल्मोलॉजी का चार्ट	1	2
35	मोनोआक्यूलर सूक्ष्मदर्शी	4	8
36	आर्टरी फोसेप्स	8	10
37	बी.पी. हेण्डल एवं ब्लैड	2	5
38	माउस टीथ फोरसेप्स	1	2
39	स्कैल्पल	1	2
40	डिसेक्टिंग इस्ट्रुमेन्ट सेट	5	10
41	स्ट्रेट सिजर	2	4
42	कर्वड सिजर	2	4

43	बोन कटिंग फोरसेप्स	1	2
44	चिसल्स	1	2
45	रेजर	1	2
46	एम्पुटेशन शॉ	1	2
47	रिट्रेक्टर	1	2
48	ग्लॉस जार	1	2
49	बुचर्स शॉ	1	2
50	ब्रेन नाइफ	1	2

अनुसूची – 14

फिजियोलॉजी एवं बायोकेमेस्ट्री विभाग हेतु आवश्यक यंत्र, भास्त्र एवं उपकरणों की सूची

स. क्र.	यंत्र, शस्त्र एवं उपकरण	50 सीट हेतु	51 से 100 सीट हेतु
(1)	(2)	(3)	(4)
1	4 चैनल युक्त पॉलीग्राफ	1	2
2	स्पायरोमीटर	1	2
3	सूक्ष्मदर्शी	10	20
4	केमिकल एवं अन्य वस्तुओं हेतु रैक	वर्गीकृत	वर्गीकृत
5	सेन्ट्रीफ्यूग	2	4
6	इन्क्यूबेटर	2	4
7	ऑटोक्लैव	1	2
8	साहली हीमोग्लोबिनोमीटर	10	20
9	इएसआर ट्यूब	10	20
10	डब्लूबीसी एवं आरबीसी पिपेट	10	20
11	स्नेलेन चार्ट	5	10
12	इशिहारास चार्ट	2	4
13	स्फिग्मोमेनोमीटर	2	4
14	नी हेमर	5	10
15	ट्यूनिंग फोर्क	5	10
16	फिजिकल बैलेंस	5	10
17	टार्च	1	2
18	नेजल स्पेकुलम	5	10
19	आयरिस हेतु स्लिट लैम्प	2	4
20	वेट मशीन	2	4
21	रेफ्रीजरेटर	1	2
22	हिमोमीटर	1	2
23	फिल्टर पेपर	1	2
24	इडीटीए शल्यूशन 10 प्रतिशत	1	2
25	आर.बी.सी. डाल्यूटिंग फ्लूड	1	2
26	डब्ल्यू.बी.सी. डाल्यूटिंग फ्लूड	1	2
27	लेसमेन स्टैन	1	2
28	इएसआर पीपेट	1	2
29	सेडियम सिट्रेट 3.8 प्रतिशत	वर्गीकृत	वर्गीकृत
30	अमोनियम ऑक्जेलेट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
31	कोलोरीमीटर	1	2
32	इलेक्ट्रानिक बैलेंस	1	2

33	आटोक्लैव	1	2
34	मध्यम आकार की कैंची	1	2
35	स्लाइड ट्रे	1	2
36	साफ्ट स्टेन ड्राप बॉटल	1	2
37	वाश बाटल 500 मिली	4	8
38	वेइंग स्कैल	1	2
39	ट्यूबरकुलिन सिरिंज	2	4
40	ब्लड ग्रुप केमिकल	1	2
41	लिम्फेटिक इम्यूनो एसे सिस्टम	1	2
42	व्हीडीआरएल स्लाइड	5	10
43	विडाल स्लाइड	5	10
44	सर्जिकल स्प्रिट नीला 250 मिली	5	10
45	आयोडिन साल्यूशन 250 मिली	5	10
46	इडीटीए 250 मिली	5	10
47	ब्लड लेन्सेट 100 नग	2 पैक	4 पैक
48	ग्लासकैप ट्यूब (10–12 सेमी)	2 पैक	4 पैक
49	फिल्टर पेपर 100 नग	2 पैक	4 पैक
50	हिमोसाइटोमीटर	2	4

अनुसूची – 15

निदान पद्धति, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग के लिए आवश्यक यंत्र, शस्त्र एवं उपकरणों का विवरण

स. क्र.	आवश्यक यंत्र, शस्त्र एवं उपकरण	50 सीट हेतु	51 से 100 सीट हेतु
1	शैक्षिक मॉडल, चार्ट (12 मिमी मोटी बोर्ड पर एल्यूमीनियम कोण फ्रेम के साथ फोटो लैमिनेटेड)	वर्गीकृत	वर्गीकृत
2	मॉडल – फिटस विथ प्लेसेन्टा	1	2
3	मॉडल – डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ फिटस	1	2
4	गाइनीकोलॉजिकल एक्जामिनेशन मॉडल	1	2
5	पिरॅमिड केपस्	वर्गीकृत	वर्गीकृत
6	स्त्री रोग संबंधी उपकरण सेट	1	2
7	ट्रेज्	2	4
8	दस्तानों के लिए रोगाणुरहित कचरा डिब्बे	2	4
9	स्पेकूलम (कस्को एवं सिम)	2 प्रत्येक	4 प्रत्येक
10	स्पोंज होल्डर	2	4
11	फिट्स स्कोप	2	4
12	स्फिग्नोमॅनोमिटर	5	10
13	वेट मशीन उंचाई नापने के मशीन के साथ	1	2
14	टार्च लाइट	5	10
15	स्टेथेस्कोप	5	10
16	वाश बेसिन	01	01
17	एक्स रे व्यू बॉक्स	01	01
18	मेजरींग टेप	01	02
19	थर्मामिटर	01	02
20	वेट मशीन	01	01

अनुसूची – 16

योग और मन शरीर चिकित्सा विभाग के लिए आवश्यक यंत्र, शस्त्र एवं उपकरणों का विवरण

स. क्र.	आवश्यक यंत्र, शस्त्र एवं उपकरण	50 सीट हेतु	51 से 100 सीट हेतु
1	कारपेट – 2000 स्क्वेअर फिट	1	2
2	दरी	वर्गीकृत	वर्गीकृत
3	लोटा, सुत्रनेती, नेती पात्र, धौती पात्र, दण्ड धौती, वस्त्र धौती, जगस्, ग्लास	वर्गीकृत	वर्गीकृत
4	सेलर / गॅस गीजर	1	2
5	प्रोजेक्टर एवं आडियो सिस्टम	1	1
6	स्मार्ट बोर्ड	1	1
7	डी.एस.एल.आर केमरा	1	1
8	अलमीरा	वर्गीकृत	वर्गीकृत
9	ओंकार मेडिटेशन बॉक्स	1	2
10	तणाव एवं चिंता प्रश्नावली	वर्गीकृत	वर्गीकृत
11	जीवनशैली योजना मार्गदर्शिका	वर्गीकृत	वर्गीकृत

अनुसूची – 17

पैथॉलोजी, माइक्रोबायोलाजी, बायोकेमेस्ट्री विभाग के लिए आवश्यक यंत्र–शस्त्र एवं उपकरणों की सूची

स. क्र.	यंत्र, शस्त्र एवं उपकरण	50 सीट हेतु	51 से 100 सीट हेतु
1	लांसेट	01	02
2	माइक्रोस्कोप स्लाइड	01	02
3	ल्युकोप्लास्ट 10 से.मी	01	02
4	डी वि डी माइक्रोबायोलाजी भाग 1 एवं भाग 2	01	02
5	ह्यूमन बॉडी न्यूट्रीशन एंड मेटाबोलिजम चार्ट	01	02
6	हिमॅटोलोजी भाग 1 डी.वी.डी	01	02
7	हिमॅटोलोजी भाग 2 डी.वी.डी	01	02
8	न्युट्रीशन विटामिन चार्ट	01	02
9	इन्फेक्शन डीसीजेस एंड नेचुरल बॉडी डिफेन्स चार्ट	01	02
10	एड्स एवरीथिंग यू शुड नो चार्ट	01	02
11	अस्थमा चार्ट	01	02
12	क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया चार्ट	01	02
13	हाई ब्लड प्रेशर चार्ट	01	02
14	रुमेटोइड आर्थ्राइटिस चार्ट	01	02
15	डायबिटीज चार्ट	01	02
16	एड्स/एस.टी.डी चार्ट	01	02
17	हिमोग्लोबिनोमीटर	01	02
18	हिमोसायाटोमिटर	10	20
19	स्फिग्मोमेनोमिटर डिजिटल	01	02

20	टेस्ट ट्यूब क्लीनिंग ब्रश	10	20
21	पैथोलॉजिकल बयनोचुलर मायक्रोस्कोप बी.एल.एस 113	02	04
22	पैथोलॉजिकल बयनोचुलर मायक्रोस्कोप बी.एल.एस 113	03	06
23	काउंटिंग चैम्बर	02	04
24	हिमॅटोमिटर सुपीरियर	02	04
25	स्लाइड ट्रे	02	04
26	स्टैनिंग रैक	12	24
27	ग्लास लॉक मध्यम	05	10
28	एक्स रे व्यूव बॉक्स	02	04
29	बी पी एपरेटस विथ आय एस आय मार्क 1. मर्कुरी –05 2. डिजीटल– 05	10	20
	मायक्रोबायोलाजी		
1	कोलोरिमीटर	01	02
2	इलेक्ट्रिकल बैलेंस	01	02
3	ऑटोक्लेव	01	01
4	स्टेनलेस स्टील रैक	05	10
5	फेलिक्स ट्यूब	10	15
6	डेक्सट्रोज बोटल	10	15
7	वेट स्केल	01	01
8	वेइंग बॉक्स	01	01
9	मेजरिंग सिलेंडर 10 मि.ली 100 मि.ली 250 मि.ली	01 प्रत्येक	01 प्रत्येक
10	बेकैर्स 100 मि.ली 250 मि.ली 500 मि.ली 1000 मि.ली	02 प्रत्येक	02 प्रत्येक
11	टुबरकुलीन सिरिंज	01	01
12	वाटर साइकिल चार्ट	01	01
13	कार्बन साइकिल चार्ट	01	01
14	नाइट्रोजन साइकिल चार्ट	01	01
15	ऑक्सीजन साइकिल चार्ट	01	01
16	माइक्रोस्कोप	02	04
17	इनोक्यूलेशन चार्ट	05	10
18	ड्रेयर ट्यूब	05	10
19	वी.डी.आर.एल स्लाइड	05	10
20	विडाल स्लाइड	05	10
21	मिथिलिन ब्लू	250 मि.ली	250 मि.ली
22	लोफेर्स मिथिलिन ब्लू	250 मि.ली	250 मि.ली
23	सर्जिकल स्पिरिट	250 मि.ली	250 मि.ली
24	आयोडीन सोलुशन	250 मि.ली	250 मि.ली
25	स्पिरिट लैंप	05	10
26	अनेरोबिक जार	01	01
27	स्पेसिमेन स्लाइड	02	02
28	ग्लास स्लाइड	04 बॉक्स	08 बॉक्स

अनुसूची – 18

कम्यूनिटी मेडिसीन विभाग के लिए आवश्यक यंत्र, शस्त्र एवं उपकरणों का विवरण

स. क्र.	यंत्र, शस्त्र एवं उपकरण	50 सीट हेतु	51 से 100 सीट हेतु
1	चार्ट	वर्गीकृत	वर्गीकृत
2	सेनेटरी वाल मॉडेल	वर्गीकृत	वर्गीकृत
3	वाटर प्युरिफिकेशन प्लांट मॉडल	वर्गीकृत	वर्गीकृत
4	फॅमिली प्लानिंग मटेरियल	वर्गीकृत	वर्गीकृत

अनुसूची – 19

संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान, फोरेंसिक चिकित्सा और विष विज्ञान, फार्माकोलॉजी विभाग के लिए आवश्यक यंत्र, शस्त्र एवं उपकरणों का विवरण

स. क्र.	यंत्र, शस्त्र एवं उपकरण	50 सीट हेतु	51 से 100 सीट हेतु
1	स्पेसिमेन ऑफ़ बोन एंड बुलेट वुंड	वर्गीकृत	वर्गीकृत
2	स्पेसिमेन ऑफ़ सॉफ्ट टिशु विथ वुंड	वर्गीकृत	वर्गीकृत
3	स्पेसिमेन ऑफ़ पाइजन एंडनॉन पाइजन स्नेक	वर्गीकृत	वर्गीकृत
4	स्लाइड ऑफ़ हेयर फोलिकल क्लोथिंग फाइबर	वर्गीकृत	वर्गीकृत
5	स्पेसिमेन ऑफ़ एंट्री एंड एग्जिट वुंड एंड टैटू मार्क	वर्गीकृत	वर्गीकृत
6	पाइजन आर्गेनिक एंड इन आर्गेनिक फॉर आयडेंटिफिकेशन	वर्गीकृत	वर्गीकृत

अनुसूची – 20

प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय के विभाग एवं संबंधित विषय

स.क्र.	विभाग	संबंधित विषय
(1)	(2)	(3)
1	एनाटॉमी विभाग	एनाटॉमी
2	फिजियोलाजी एवं बायोकेमिस्ट्री विभाग	फिजियोलाजी, बायोकेमिस्ट्री
3	फिलोसॉफी ऑफ नेचुरोपैथी एवं यौगिक सिद्धान्त विभाग	फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर, योग फिलासॉफी
4	योगा एवं माईण्ड बाडी मेडिसिन विभाग	योग प्रक्टिसेस, योग एप्लिकेशन, सायकोलॉजी एण्ड बेसिक सायकेट्रि
5	पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग	पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी
6	कम्यूनिटी मेडिसिन विभाग	कम्युनिटी मेडीसिन (हेल्थ), हॉस्पिटल मैनेजमेंट
7	एनर्जी मेडिसिन एवं कलर और मैग्नेटो विभाग	मॅग्नेटोथेरेपी एण्ड क्रोमोथेरेपी
8	मैनिपुलेटिव थेरेपीज़ और पुनर्वास के साथ फिजिकल मेडिसिन विभाग	मैनिपुलेटिव थेरेपी, फिजिओथेरेपी
9	सहायक स्वास्थ्य विज्ञान, फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान, औषधि विज्ञान विभाग	फॉरेन्सिक मेडीसिन एण्ड टॉक्सिकोलॉजी
10	उपवास, आहार विज्ञान, पोषण और औषधि विभाग	फास्टिंग थेरेपी, डाएटेटिक, न्यूट्रिशन एण्ड हर्ब
11	आधुनिक निदान विधि, प्रसूति और स्त्री रोग विभाग	मॉर्डन डायग्नोसिस एण्ड फर्स्ट एड, आबस्टेस्ट्रिक एण्ड गायनेकोलॉजी
12	हाइड्रोथेरेपी और मिट्टी थेरेपी विभाग	हायड्रो थेरेपी
13	नैचुरोपैथी, नैचुरोपैथी निदान विधियाँ, नैचुरोपैथी चिकित्सा, योग चिकित्सा, अनुसंधान पद्धति विभाग	एक्युपंक्चर, नेचुरोपैथी डायग्नोसिस, योगिक थेरेपी

अनुसूची – 21
अस्पताल में संधारित किये जाने वाले रजिस्टर की सूची

स.क्र	रजिस्टर	ओ.पी.डी रजिस्टर	आई.पी.डी रजिस्टर	अन्य रजिस्टर
1	सेन्ट्रल रजिस्टर	सेन्ट्रल ओ.पीडी	सेन्ट्रल आई.पी.डी.	इन्टेण्ड रजिस्टर
2	डिपार्टमेंट रजिस्टर	हेल्थ काउंसिलिंग (मनोविज्ञान)	हेल्थ काउंसिलिंग (मनोविज्ञान)	
		प्राकृतिक चिकित्सा ओ.पी.डी	प्राकृतिक चिकित्सा आई.पी.डी.	
		योग ओ.पी.डी	योग आई.पी.डी.	
		आहार परामर्श ओ.पी.डी	आहार परामर्श आई.पी.डी.	
		भौतिकी चिकित्सा ओ.पी.डी	भौतिकी चिकित्सा आई.पी.डी.	
3	पैथॉलोजी रजिस्टर	हिमेटोलोजी / सिरोलोजी ओ.पी.डी	हिमेटोलोजी / सिरोलोजी आई.पी.डी.	इण्डेन्ट रजिस्टर
4	डयूटी रोस्टर	आर.एम.ओ		
		विशेषज्ञ		
		उपचार पर्यवेक्षक		
		योग प्रशिक्षक		
		थेरपिस्ट		
		मॅसिअर		
		इन्टर्न		
		ई.एम.ओ		
5	अन्य	प्राकृतिक चिकित्सा शिविर		
		योग शिविर		
		एम्बुलेन्स		
		मृत्यु रिकार्ड		

महाविद्यालय में संधारित किये जाने वाले रजिस्टर की सूची :–

1. शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड।
2. शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों के वेतन पर्ची और वेतन विवरण।
3. प्रत्येक विभाग को स्टॉक रजिस्टर, सैद्धांतिक और व्यावहारिक कक्षाओं के लिए छात्रों की उपस्थिति और विभागीय पुस्तकालय के पुस्तकों का रिकॉर्ड रजिस्टर बनाए रखना होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.